

Title : Appropriation (No. 2) Bill, 2023.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

?कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
